K-14511
2/2/
6/4/04
9893
भारत सरकार मुद्रणालय..... से प्राप्त।
दिनांक.....REGD. NO. D. L.-33004/99
28.4.04
प्रभारी
डाकपत्र वितरण एकक

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2004/चैत्र 24, 1926
No. 184] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2004/CHAITRA 24, 1926

PO-350
KM. 30
Dept. 100
CPB 220
पूरा किया
प्रभारी
डा० वि० एकक

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 259(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"अधिनियम"** से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) **"अपील अधिकरण"** से अधिनियम की धारा 110 के अधीन स्थापित विद्युत अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) **"अध्यक्ष"** से अधिनियम की धारा 113 के अधीन नियुक्त अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) **"सदस्य"** से अधिनियम की धारा 113 के अधीन नियुक्त अपील अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3.अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते--(1) अध्यक्ष ऐसे मासिक वेतन और ऐसे भत्तों और अन्य फायदों का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं :

परंतु यह कि यदि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे अध्यक्ष के वेतन में से उसके द्वारा ली जा रही पेंशन की कुल राशि घटा दी जाएगी :

परंतु यह और कि अध्यक्ष ऐसे वेतन नियतन के पूर्व मूल आधारिक वेतन पर भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा ।

4. अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय - अध्यक्ष ऐसे अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा जो अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 द्वारा शासित होगा ।

5. सेवा की अन्य शर्तें - अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी ।

6. सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते- अपील अधिकरण का सदस्य ऐसे मासिक वेतन और भत्तों और फायदों का हकदार होगा जो दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं:

परंतु यह कि यदि सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे सदस्य के वेतन में से उसके द्वारा ली जा रही पेंशन की कुल राशि घटा दी जाएगी ।

परंतु यह और कि सदस्य ऐसे वेतन नियतन के पूर्व मूल आधारिक वेतन पर भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा ।

7. **अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय** - सदस्य ऐसे अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा जो अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 द्वारा शासित होगा ।

8.सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें - सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के लिए उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी ।

IndiaCode

9. पद और गोपनीयता की शपथ- अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में विद्युत मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा ।

10. वित्तीय या अन्य हित की घोषणा -- यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति पर प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 3 में यह घोषणा करेगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

11. अवशिष्ट उपबंध-- अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित ऐसे विषय जिसकी बाबत इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, अपील अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

IndiaCode

प्ररूप -1

(नियम 9 देखिए)

(विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप)

मैं,.....,जो अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में श्रद्धापूर्वक तथा शुद्ध अंतःकरण से अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करुंगा तथा मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।

तारीखः

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)
विद्युत अपील अधिकरण

प्ररूप -2

(नियम 9 देखिए)

(विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप)

मैं,.....,जो अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूं , सत्यनिष्ठा से प्रतीक्षा करता हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में ऐसा कोई विषय जो अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, मेरे विचाराधीन लाया जाएगा या मेरी जानकारी में आएगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संसूचित या प्रकट नहीं करुंगा ।

तारीखः

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)
विद्युत अपील अधिकरण

IndiaCode

प्ररूप -3

(नियम 10 देखिए)

किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरुद्ध घोषणा

मैं,.....,जो विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूं , सत्यनिष्ठा से प्रतीज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूँ कि मेरा ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही भविष्य में होगा जिससे विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य(जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

तारीखः

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)
विद्युत अपील अधिकरण

[फा. सं. 23/12/2003-आर और आर (वोल. III) (भाग III-)]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2004

G.S.R. 259(E).—In exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal for Electricity established under section 110 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson the Appellate Tribunal appointed under section 113 of the Act;

(d) "Member" means a Member of the Appellate Tribunal appointed under section 113 of the Act;

(e) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Salary, allowances, payable to the Chairperson.**– The Chairperson shall be entitled to a monthly salary and to such allowances and other benefits, as are admissible to a Judge of the Supreme Court:

IndiaCode

Provided that in case a person appointed as the Chairperson is in receipt of any pension, the pay of such Chairperson shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him:

Provided further that the Chairperson shall be entitled to draw allowances on the original basic pay before such fixation of pay.

4. **Contribution to contributory provident fund.**–The Chairperson shall be entitled to subscribe to the Contributory Provident Fund which shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules, (India), 1962.

5. **Other conditions of service.**– The other conditions of service of Chairperson shall be governed by the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 and the rules made there under.

6. **Salary and allowances payable to Member.**– A Member of the Appellate Tribunal shall be entitled to a monthly salary, and such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the High Court of Delhi:

Provided that in case a person appointed as the Member is in receipt of any pension, the pay of such Member shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him:

Provided further that the Member shall be entitled to draw allowances on the original basic pay before such fixation of pay.

7. **Contribution to contributory provident fund.**– The Member shall be entitled to subscribe to the Contributory Provident Fund which shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

8. **Other conditions of service of Member.**– The other conditions of service of a Member shall be governed by the High Court Judges (Salaries and conditions of Service) Act, 1954, and the rules made there under for a serving Judge of the High Court of Delhi.

9. **Oath of office and secrecy.** – Every person appointed as the Chairperson or a Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy, before the Minister in charge of the Ministry of Power in Form I and Form II respectively annexed to these rules.

10. Declaration of financial or other interest. – Every person, on his appointment as the Chairperson or Member, as the case may be, shall give a declaration in Form III annexed to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or Member, as the case may be.

11. Residuary provision. – Matter relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Appellate Tribunal to the Central Government for its decision.

IndiaCode

FORM-I
(See Rule 9)

Form of Oath of Office for the Chairperson/Members of the Appellate Tribunal for Electricity)

I,_____, having been appointed as the Chairperson/Member *(cross out portion not applicable)* do solemnly affirm and do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/Member *(cross out portion not applicable)*, of the Appellate Tribunal for Electricity, to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

Dated:

(Name of the Chairperson/Member)
APPELLATE TRIBUNAL FOR ELECTRICITY

FORM-II
(See rule 9)

Form of Oath of Secrecy for the Chairperson/Members of the Appellate Tribunal for Electricity.

I,_____, having been appointed as the Chairperson/a Member (Cross out portion not applicable) do solemnly affirm and swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chairperson/a Member (cross out portion not applicable) of the Appellate Tribunal for Electricity except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson/a Member (cross out portion not applicable).

Dated

(Name of the Chairperson/Member)
APPELLATE TRIBUNAL FOR ELECTRICITY

IndiaCode

FORM-III
(See rule 10)

Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest

I,_____, having been appointed as the Chairperson/Member *(cross out portion not applicable)* of the Appellate Tribunal for Electricity, do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson/Member *(cross out portion not applicable)* of the Appellate Tribunal for Electricity.

Dated

(Name of the Chairperson/Member)
APPELLATE TRIBUNAL FOR ELECTRICITY

[F. No. 23/12/2003-R&R (Vol. III) (Pt. III)]
AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.